

सहायक कमिश्नर (सु.)
नागौर

45
16

राजस्व शासन सचिव, जयपुर (ग्रुप-1) विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक
19 (3) राज-1/2016 दिनांक 12.04.2016 एवं जिला न्यायाधीश,
नागौर के पत्र क्रमांक/कोर्ट/911-26 दिनांक 15.05.2016 के
अनुसरण में तैयार किए गए कार्यक्रम के अनुसार समय/नोटिस जारी
होकर पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय जापके द्वार 2016/
कैम्प कोर्ट में दिनांक.24/5/16 को पेश हो।

सहायक कमिश्नर (सु.)
नागौर

24/5/16 पत्रावली राज लोक अदालत
के पेश हुई। कुलाम कोर्स
उत्तम जाधव ने जाधव पर
पट्टल का निवेदन किया
कि जाधव का जाधव का 1/6
लिंगम पीवा रे लाहरी
गांव दूना रे. 3266,
3704/3274 एवं गांव गाजुडी
लहरी में दूना रे. 3266
284, 288 प्लेस में जाधव
एवं कुलामिणी का 43 हेक्टर
निहित है जिसे विभाजन
है। वही पट्टल विभाजन
है। दोराने वही अरि
सी यथास्थिति बनाये
रखने का निवेदन किया
है। अपनी कथन के पक्षों
के लक्ष्य गमाव की वजह

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्
अहका
की त

2067-70, 2066-69 पराधीन
 जिला जमीन कजाधीन 1/2
 तदुक्त एतद्वारा है कजाधीन
 1/2 न जकाव परा कर शर्त
 एतद्वारा किया है कजाधीन
 1/2 को पचास परशर होने
 के इसी जकाव दे दी कर शर्त,
 पराधीन 2/3 कजाधीन किया।
 उक्त तर्जों से कजाधीन
 इन जकाव 5/11 पारित
 कजाधीन स्थान को देना दिनांक
 5-9-2013 से ताद्वारा यह
 कजाधीन को दे दे कर शर्त के
 एतद्वारा 3266, 3704/3274 के
 तर्जों से कजाधीन कजाधीन
 एतद्वारा है कजाधीन 1/2
 से पाबंद किया गया है पराधीन
 कजाधीन मुक्त होकर कजाधीन
 दया-त ही

राज्य सरकार (3)
 मुम्बई